UPCH010023922024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट
उपस्थित–विकास कुमार–I .....एच0जे0एस0

दाण्डिक निगरानी संख्या–60/2024

1. श्रीमती मीनादेवी पुत्री दीनदयाल पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी हरदौली थाना राजापुर जिला चित्रकूट।

2. दीनदयाल पुत्र आशाराम उर्फ पचहुला

3. श्रीमती राजदुलारी पत्नी दीनदयाल

4. सत्यदेव पुत्र दीनदयाल

निवासीगण रगौली थाना कर्वी जिला चित्रकूट।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामबली उर्फ मनोज कुमार पुत्र अन्नू प्रसाद निवासी खोही थाना कर्वी जिला चित्रकूट।

2. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी चित्रकूट।

.....प्रत्युत्तरदातागण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सीनियर डिविजन, एफ0टी0सी0 चित्रकूट द्वारा परिवाद सं0–291/2024 रामबली उर्फ मनोज कुमार बनाम श्रीमती मीनादेवी आदि में पारित तलबी आदेश दिनॉकित 15.06.2024 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्ता श्रीमती मीना देवी के विरूद्ध 494, 406, 120बी भा0दं0सं0 एवं निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण दीनदयाल, श्रीमती राजदुलारी व सत्यदेव के विरूद्ध धारा 406, 120बी भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया है।

2. निगरानी से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी सं0–1/परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी शादी दिनांक 08.02.2011 को प्रतिवादिया मीना देवी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। उक्त मीनादेवी दिनांक 17.10.2021 को सारा जेवर व पैसे व कपडे बिना बताये अपने ससुराल खोही से बिना बताये अपने मायके रगौली चली गयी। मीनादेवी ने उसके विरूद्ध मुकदमा

भरण पोषण का दायर किया जो कि दिनांक 04.01.2020 को खारिज हो गया। मीनादेवी ने दिनांक 02.07.2021 को चोरी छिपे 100/– रूपये के स्टाम्प पर क्रम सख्या 64 एफ0एस0 878350 है गुलजार सिंह पटेल स्टाम्प विक्रेता से राजापुर से स्टाम्प खरीद कर उपरोक्त दिनांक को राजीनामा विवाह संस्कार करवाया है। मीनादेवी ने दिनांक 02.07.2021 को महेन्द कुमार पुत्र शिवभवन निवासी हरदौली थाना राजापुर, तहसील राजापुर, जिला चित्रकूट के साथ चोरी छिपे विवाह संस्कारित करवाया और हरदौली में अपने पति महेन्द्र के साथ रह रही है। मीनादेवी व उसक माता पिता व भाईने उसके साथ षडयन्त्र रच करके दूसरी जगह महेन्द कुमार पुत्र शिवभवन निवासी हरदौली थाना व तहसील राजापुर, जिला चित्रकूट के साथ बतौर पत्नी रह रही है तथा उसका सम्पूर्ण जेवरात अपने कब्जे में रखकर खर्च कर दिया। उसका जो जेवरात जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रूपये होती है को खल्त मल्त कर दिया। उसके कई बार रगौली जाने पर व पता करने पर सही पता नहीं बताते थे कभी बताते थे कि ननिहाल गयी है तो कभी बताते थे कि मौसी के यहा गयी है तथा कभी कहते थे कि अपनी बहन के यहां गयी है। इस प्रकार से कई दिनों बाद उसको पता चला कि मीना देवी व उसके माता पिता व भाई ने षड्यन्त्र रच करके दूसरी शादी हरदौली में कर दिया है और वह हरदौली में रह रही है। उसने अपना सम्पूर्ण जेवरात मांगा तो देने को तैयार नहीं है और अन्य विपक्षीगण कहने लगे कि हमने मीनादेवी की शादी में सारा स्त्रीधन देकर उसको दूसरी जगह विदा कर दिया है अब तुम्हारा कोई भी जेवरात हमारे पास नहीं है और परिवादी ने जब अपने जेवर का पैसा 90,000/ रूपया मांगा तो वह भी देने से इंकार कर दिया और कहा कि हम नहीं देगे और उसके साथ गाली गलौज करके भगा दिया है। वह कई बार रगौली व हरदौली प्रधान एवं गाँव के लोगो से सम्पर्क किया तो वहां के लोगो ने बताया कि मीनादेवी की शादी एक साल से अधिक समय से बतौर महेन्द्र कुमार की पत्नी मीना देवी रह रही है। उसने थाना कोतवाली कर्वी व थाना राजापुर में शिकायत किया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसने घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी को हाथों हाथ दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करके परिवादिनी का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 व सी0डब्लू0–1 अन्नू प्रसाद व सी0डब्लू0–2 श्यामा देवी के बयान अंकित किये गये और उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता श्रीमती मीना देवी के विरूद्ध 494, 406, 120बी भा0दं0सं0 एवं अभियुक्तगण दीनदयाल, श्रीमती राजदुलारी व सत्यदेव के विरूद्ध धारा 406, 120बी भा0दं0सं0 का अपराध प्रथम दृष्ट्या गठित होना पाया

और अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराधों के विचारण हेतु आहूत किया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संस्थित की गयी है।

4. निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी इस आधार पर संस्थित की गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किए बिना मात्र सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित कर उन्हें तलब किया गया है। परिवादी रामबली उर्फ मनोज ने केशकली पुत्र भोलाप्रसाद से दिनांक 12.02.2020 को दूसरा विवाह किया है जिस पर उनके द्वारा रामबली उर्फ मनोज के विरूद्ध अ0सं0–16/2021 धारा 498ए, 323, 494 भा0दं0सं0 का मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसमें आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, इसी मुकदमें में उनपर दबाव बनाने के आशय से बदले की भावना से प्रेरित होकर परिवाद दायर किया गया था जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थनापत्र में कथित घ ाटना नितान्त झूठी एवं बनावटी है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नही ंकिया गया है। उक्त आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.06.2024 अपास्त किए जाने की याचना की गयी।

5. उक्त निगरानी के विरूद्ध प्रतिवादी सं0–1 रामबली उर्फ मनोज कुमार की ओर से आपत्ति का0सं0–15ख प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया है कि उक्त निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उसकी शादी दिनांक 08.02.2011 को मीनादेवी के साथ हुई थी। दिनांक 17.10.2017 को वह सारा जेवर, पैसे व कपड़े बिना बताए अपने ससुराल खोही से अपने मायके रगौली चली गयी। निगरानीकर्तागण के द्वारा चोरी छिपे गैर कानूनी तरीके से जालसाजी व धोखाधड़ी तथा षडयंत्र करके मीनादेवी की दूसरी जगह शादी की गयी है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2013(3) जे0आई0सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

> रिवीजन न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नकारात्मक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहां परः–
>
> 1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल

विधि के विपरीत है,

2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है,

3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए हैं,

4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया है।

8. परिवादी रामबली उर्फ मनोज कुमार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्तागण के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी शादी दिनांक 08.02.2011 को मीनादेवी के साथ हुई थी। दिनांक 17.10.2017 को वह सारा जेवर, पैसे व कपड़े बिना बताए अपने ससुराल खोही से अपने मायके रगौली चली गयी। निगरानीकर्तागण ने मीनादेवी का दिनांक 02.07.2021 को महेन्द कुमार पुत्र शिवभवन के साथ चोरी छिपे विवाह संस्कारित करवाया जो हरदौली में अपने पति महेन्द्र के साथ रह रही है। मीनादेवी व उसके माता पिता व भाई ने उसके साथ षडयन्त्र रच कर दूसरी जगह महेन्द कुमार के साथ उसका विवाह कराया है तथा उसका सम्पूर्ण जेवरात अपने कब्जे में रखकर खर्च कर दिया। उसका जो जेवरात जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रूपये होती है को खल्त मल्त कर दिया जिसे उसके द्वारा निगरानीकर्तागण से मांगे जाने पर वापस नहीं किया गया है और गाली गलौज कर अभद्रता की गयी है।

9. निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया है। इस संबंध में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.06.2024 का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व साक्षीगण अन्नू प्रसाद एवं श्यामा देवी के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों का सम्यक परिशीलन एवं विवरण उल्लिखित किए जाने के उपरान्त प्रथम दृष्ट्या अभियुक्ता श्रीमती मीना देवी के विरूद्ध 494, 406, 120बी भा0दं0सं0 एवं अभियुक्तगण दीनदयाल, श्रीमती राजदुलारी व सत्यदेव के विरूद्ध धारा 406, 120बी भा0दं0सं0 का अपराध सृजित होना पाते हुए उन्हें उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में साक्षियों द्वारा अपने बयान अर्न्तगत धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 में निगरानीकर्तागण द्वारा मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का कथन न करने के आधार पर उन्हें उक्त अपराध में आहूत नहीं किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन और न्यायिक मस्तिष्क

का प्रयोग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः उक्त विवेचन से निगरानीकर्तागण के उक्त तर्क कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किए बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, में कोई बल नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्तागण का यह भी कथन है कि परिवादी के विरूद्ध उनके द्वारा पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें उनपर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु यह परिवाद दायर किया गया है, तो इस संबंध में यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि पूर्व में निगरानीकर्तागण द्वारा योजित किया गया मुकदमा उनके साथ उस समय घटित हुई घटना पर आधारित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण परिवादी/विपक्षी के साथ निगरानीकर्तागण द्वारा कारित की गयी घटना पर आधारित है, अतः उक्त दोनों घटनाओं की वस्तुःस्थिति व प्रकृति एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त विधि सुस्थापित है कि तलबी के स्तर पर गुण दोष के आधार पर साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है, इस स्तर पर अपराध का संदेह से परे साबित होना आवश्यक नहीं है बल्कि इस स्तर पर केवल अभियुक्त द्व ारा प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने सम्बन्धी बिन्दु पर विचार करना आवश्यक है। इसी आशय का अभिभत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **ए0आई0आर0 2010 (एस0सी0) पेज–2261 शिवजी सिंह बनाम नगेन्द्र तिवारी एवं अन्य** के मामले में दिया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में निगरानीकर्तागण के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाया जाता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **आर0पी0 कपूर बनाम पंजाब राज्य,ए0आई0आर0 1960 एस0सी0 866, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एस0सी0सी0(कि0) 426, बिहार राज्य बनाम पी0पी0 शर्मा 1992 एस0सी0सी0 (कि0) 192 और झंडु फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि0 बनाम मौ0 साराफुल हक एवं अन्य(पैरा–10)2005 एस0सी0सी0(कि0) 283** के मामलों में यह धारित किया गया है कि तलबी के स्तर पर निगरानीकर्ता को उपलब्ध प्रतिरक्षा के आधारों के सम्बन्ध में विवेचना किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार **सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता एवं अन्य(2015) 3 एस0सी0सी0 424** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि तलबी के स्तर पर बचाव कथन अथवा सामग्री या तर्क का विचार में लिया जाना अपेक्षित नहीं है।

11. उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय की राय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में किसी तथ्य, साक्ष्य व विधि की कोई भूल कारित नहीं की गयी है बल्कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.06.2024 विधिसम्मत व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है जो पुष्ट किए जाने योग्य है।

12. अतः निगरानी के स्तर पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.06.2024 में हस्तक्षेप

करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.06.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है। तद्नुसार निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत **दाण्डिक निगरानी सं0–60/2024 श्रीमती मीना देवी व 03 अन्य बनाम रामबली उर्फ मनोज कुमार व 01 अन्य** बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 15.06.2024 एतद्द्वारा पुष्ट किया जाता है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजा जाये।

दिनॉक– 18.01.2025

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनॉक– 18.01.2025

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2025.01.18 15:33:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court